

**मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्र. 2314 / 3159/24/19/अ

भोपाल, दिनांक 15/07/2025

प्रति,

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. प्रमुख अभियंता (B&R) | 2. प्रबंध संचालक |
| म. प्र. लोक निर्माण विभाग | म. प्र. सड़क विकास निगम |
| निर्माण भवन, भोपाल | 45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल |

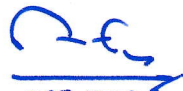
विषय: फ्लाईओवर एवं रेल्वे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण के परीक्षण हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन।

प्रदेश में निर्माणाधीन फ्लाईओवर एवं रेल्वे ओवरब्रिज (ROB) की Geometric Design, Alignment, Vertical Gradient एवं Design Speed के अनुरूप Superelevation का तकनीकी परीक्षण किया जाना आवश्यक है। जिससे संरचनाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

जटिल मामलों के तकनीकी परीक्षण एवं निराकरण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:

1. प्रमुख अभियंता (B&R), लोक निर्माण विभाग, भोपाल – अध्यक्ष
2. मुख्य अभियंता (सेतु परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, भोपाल – सदस्य
3. मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल – सदस्य
4. मुख्य अभियंता (ब्रिज), संबंधित रेल्वे जोन - सदस्य
5. संबंधित अधिकारी, नगर निगम/ अन्य स्थानीय निकाय - सदस्य

इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता समझते हैं कि अन्य विशेषज्ञ की मदद आवश्यक है तो वे अन्य सदस्यों को समिति में सम्मिलित कर सकेंगे।


15-7-25
(ए. आर. सिंह)

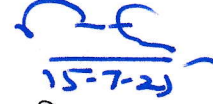
उप सचिव, म.प्र. शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ क्र. 2315 13159/24/19)क्र

भोपाल, दिनांक 15/07/2025

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म. प्र शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, रेल्वे,जोन को सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता (सेतु परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म. प्र.) को पालनार्थ।
5. मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (म. प्र.) को पालनार्थ।


15-7-25

उप सचिव, म.प्र. शासन
लोक निर्माण विभाग